

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10/16

दिनांक 31.07.2017

आदेश

श्री अशोक कुमार शर्मा, उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) जयपुर (स्वयं की बीमारी) के अवकाश पर रहने के कारण निदेशालय का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए श्री रमाकान्त वशिष्ठ, सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक को प्रशासनिक आधार पर लोक हित में अग्रिम आदेश तक कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत श्री शर्मा के अवकाश से लौटने तक उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) जयपुर के पदीय कार्य हेतु निर्देशित किया जाता है।

सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक का कार्य श्री जवाहर सिंह, अभियोजन अधिकारी सीजेएम न्यायालय टोंक द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा।

216/31.7.17
(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्य मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. निजी पत्रावली।
8. समस्त अनुभाग, अभियोजन निदेशालय।
9. रक्षित पत्रावली।

216/31.7.17
विशिष्ट शासन सचिव, गृह